

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर (म0प्र0)

--:- आदेश --:-

क्रमांक-597/तीन-13-14/23

सागर, दिनांक-22/06/2023

माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर के ज्ञापन क्रमांक बी/934 दिनांक 08.02.2023 के संलग्न म0प्र0 राजपत्र (भाग-04) भोपाल दिनांक 03.02.2023 की कंडिका 10(2)(छह) के आलोक में म.प्र. न्यायिक सेवायें (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम-2022 के अंतर्गत इस स्थापना पर पूर्व में पदस्थ रहे, श्री तनवीर अहमद खान विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम सागर को कार्यालय आदेश क्रमांक 561 दिनांक 15.06.2023 द्वारा पुनरीक्षित वेतन निर्धारण के फलस्वरूप हुये वेतन निर्धारण आदेश के अनुक्रम में कुल एरियर्स राशि स्वीकृत की जाकर उसमें से प्रथम एवं द्वितीय किस्त की राशि 25 प्रतिशत राशि का भुगतान होने के फलस्वरूप उन्हें निम्नानुसार **तृतीय किस्त** की 50 प्रतिशत राशि स्वीकृत की जाकर उसमें से 30 प्रतिशत आयकर कटौती उपरांत भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क.	यूनिक एम्प. कोड	अधिकारी का नाम	आदेश व दिनांक	अवधि	कुल एरियर्स की राशि	तृतीय किस्त (50 प्र.)	आयकर कटौती (30 प्र.)	भुगतान योग्य राशि
1	430017226	श्री तनवीर अहमद खान विशेष न्यायाधीश तत्कालीन विद्युत अधि.सागर, वर्तमान में पीठासीन अधिकारी वक्फ बोर्ड भोपाल	रजिस्ट्री जबलपुर का आदेश क्रमांक ए /1774 दिनांक 10.04.2023	01/01/16 से 28/02/23	18,13,299	9,06,649	2,71,995	6,34,654

टीप-अधिक भुगतान होने की स्थिति में राशि संबंधित से वसूल की जा सकेगी।

Sd-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर

पृ0 क्रमांक-2975/तीन-13-14/23

सागर, दिनांक-22/06/2023

प्रतिलिपि:-

1. पीठासीन अधिकारी म0प्र0 राज्य वक्फ अधिकरण, बी-114 हाउसिंग बोर्ड कालोनी, कोहेफिजा भोपाल,
2. श्री तनवीर अहमद खान, पीठासीन अधिकारी म0प्र0 राज्य वक्फ अधिकरण, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. जिला कोषालय अधिकारी सागर
4. वेतन लिपिक/लेखापाल कार्यालय अनुभाग सागर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की ओर संबंधित न्यायिक अधिकारी को ईमेल के माध्यम से सूचनार्थ भिजवाये जाने बावत् प्रेषित।

Prin. जिला एवं सत्र न्यायाधीश
District & Session Judge
SAGAR (M. P.)